कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/568 दिनांकः 18/09/2021

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त पीईईओ

विषयः विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 की शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश
प्रसंगः इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 24.8.2021 एवं राज. सरकार गृह विभाग आदेश क्रमांक पं. 7(1)गृह –7/2021 जयपुर दिनांक 12.8.2021 तथा 17.09.2021

उपरोक्त विषयातर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.8.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन दिनांक 24.8.2021 को जारी S.O.P में वर्णित निर्देशों के अनुरूप किया किया जा रहा है।

इस क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2021 से दी गई अनुमति के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से तथा कक्षा 1 से 5 के नियमित कक्षा गतिविधियां 27.09.2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उक्त संचालन में–

1. कक्षा 1 से 8 के कक्षा शिक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुरूप ही रहेगी।
2. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि छात्रों की उपस्थिति कक्षा–कक्ष की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी।
3. ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का preferred माध्यम रहेगा तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। "आओ घर में सीखें–2.0" के तहत संचालित स्माइल 3.0, व्हाट्सप क्विज, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि पूर्व की भांति संचालित रहेंगे।
4. विद्यालय आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता–पिता या अभिभावक से लिखित में अनुमति लाना अनिवार्य होगा वह माता–पिता या अभिभावक जो अपने बच्चे को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा (Attendance optional) तथा उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रूप से संचालित रखी जाएगी।
5. विद्यालय में **प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन/रैली/सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी।**
6. विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा–अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में मिड–डे मिल नहीं पकाया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा लंच टिफिन व भोजन का **पारस्परिक उपयोग नही किया जावे।**

7. विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जावे तथा **पानी की बोतल के पारस्परिक (अदला–बदली) उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे।** घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
8. अध्ययन अवधि के दौरान तथा शाला प्रांगण एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो एंट्री"** की पालना आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी और स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराया कराना सुनिश्चित करें।
9. संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।
10. विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान एवं विद्यालय परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (2 गज दूरी) का ध्यान रखा जाए एवं विद्यालय में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं हो।
11. विद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाना हैं।
12. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग, डोर हैंडल्स सार्वजनिक सतह पर इत्यादि प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएं एवं खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का प्रवाह पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे विद्यालय में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी व अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
13. विद्यालय के शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ एवं आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक आवश्यक रूप से लेनी होगी।
14. शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ऑटो कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार अनुमत होंगे।
15. विद्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कार्य किया जावे ।
16. विद्यालय परिसर में विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड़ पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाए।
17. किसी भी विद्यार्थी/शिक्षक/कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट अस्पताल में इलाज हेतु रेफर करवाया जाएगा एवं संस्था द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशित एसओपी के तहत समस्त सम्बन्धितों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
06. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
07. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
08. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
09. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर गण।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

13. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
14. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
15. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
17. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
18. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
19. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
22. रक्षित पत्रावली।

उप-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 17.09.2021

आदेश

विषय : त्रिस्तरीय जन–अनुशासन दिशा–निर्देश 6.0

पिछले कुछ दिनों से कोविड–19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में :–

1. शादी–समारोह में अधिकतम **200 व्यक्तियों** के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। (विवाह आयोजन सम्बन्धी शेष दिशा–निर्देश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.07.2021 अनुसार रहेंगे)

कार्यालयों के सम्बन्ध में :–

2. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :–

3. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक)/कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है।

4. **राज्य के सरकारी/निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021** से एवं **कक्षा 1 से 5वीं तक** की नियमित कक्षा गतिविधियां **दिनांक 27.09.2021** से **50 प्रतिशत क्षमता के साथ** संचालित की जा सकेंगी।

5. **विद्यालय के** शैक्षणिक व अशैक्षणिक **स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम–से–कम एक खुराक (1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।**

6. **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।**

7. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की **उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत** से अधिक नहीं होगी।

8. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

9. राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जायेगी:–

   a. **शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता–पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।**

   b. शिक्षण संस्थानों **द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।**

   c. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Entry"** की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

   d. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग** की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।

   e. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान **परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी)** का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान **परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।**

   f. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि **प्रतिदिन सेनेटाईज** किया जावे एवं

खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।

g. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।

h. सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।

i. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को **10 दिनों** के लिए बंद किया जायेगा।

j. किसी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/ भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।

10. **जनजातीय विकास विभाग** द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास एवं मां बाड़ी केन्द्रों एवं **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित** छात्रावास को कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक **20.09.2021** से संचालित करने की अनुमति होगी। इसके सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

अन्य गतिविधियां :–

11. रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार **प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे** तक अनुमत होंगे।

12. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को **100 प्रतिशत क्षमता** के साथ **प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक** केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम–से–कम **1^{st} dose लगवा ली हो।**

13. जिम/योगा सेंटर को **प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे** तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की **कम–से–कम 1^{st} dose** लगवा ली हो।

14. प्रदेश में मवेशियों का व्यापार **पशु हाट** मेलों द्वारा ही किया जाता है, अतः पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात् स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए **दिनांक 20.09.2021** के पश्चात् अनुमत होगा।

15. प्रदेश में संचालित स्विमिंग पूल्स को **दिनांक 20.09.2021** से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की **कम–से–कम 1^{st} dose** लगवा ली हो।

16. प्रदर्शनी/सामाजिक कार्यक्रम **प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे** तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की **कम–से–कम 1st dose** लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।
17. बिन्दु संख्या 16 में वर्णित गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन यथा–राजनैतिक, खेल–कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासनिक निर्देश :–

18. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा **"No Mask No Movement"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
19. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।
20. वार्ड/गांव/शहर में संभावित भीड़–भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी/एन.एस.एस /जन अनुशासन कमेटी आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु जन जागरूकता किया जायेगा। समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरन्तर अपील करने हेतु सहयोग लिया जायेगा।
21. उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
22. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक** रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।
23. शेष सभी दिशा–निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत् रहेंगे।
24. यह आदेश **दिनांक 20 सितम्बर, 2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से** प्रभावी होगा।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 12.08.21 से दी गई अनुमति के अनुसार राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा– 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से दिनांक 1.09.21 से कक्षा शिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। इन निर्देशों के अनुरूप राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (राजकीय एवं गैर राजकीय) में कक्षा शिक्षण हेतु अनुमत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.09.2021 से कक्षा 9 एवं 12 हेतु कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किये जाने के क्रम में एतद् द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की जाती है :–

कोविड–19 के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साथ विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समुदाय में विश्वास एवं कोविड–19 के बचाव के संबंध में जागरूकता के लिये जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रबोधन एवं मार्गदर्शन बैठक (ऑन लाईन/ऑफ लाईन) आयोजित की जाएगी, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु दायित्व एवं रूपरेखा तैयार की जाएगी :–

क्र.सं.	मार्गदर्शन देने हेतु बैठक लेने वाले अधिकारी	बैठक में भाग लेने वाले संभागीगण	आयोजन की तिथि
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मा./प्रा.)	अधीनस्थ सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं महिला बाल विकास के प्रतिनिधि	दिनांक 25.08.21
2	पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	पंचायत मे संचालित समस्त विद्यालयो के संस्था प्रधान, कोविड–19 के लिये बनाई गई ग्राम निगरानी समिति, समस्त शिक्षक, एसडीएमसी के सदस्य गण, आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायत मे स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी, अभिभावक प्रतिनिधि	दिनांक 26.08.21
3	संस्था प्रधान	सभी शिक्षक, अभिभावक (पीटीएम बैठक) एसडीएमसी के सदस्य, इच्छुक विद्यार्थी,	दिनांक 27.08.21

1. स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया

- विद्यालय/छात्रावास के समस्त परिसर,फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, शौचालय–मूत्रालय, भण्डार कक्ष, पानी की टंकियां अथवा अन्य स्थान, किचन, प्रयोगशाला एवं अन्य समस्त स्थानों को संक्रमण मुक्त करने के लिये सेनेटाईज किया जाना संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जावे। इस हेतु लिक्विड़ हेंडवाश एवं जल की नियमित व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा।
- विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा–अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में मिड–डे मिल नहीं पकाया जाना है।
- विद्यालय के वाहन/बालवाहिनी का उपयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे पूरी तरह से सेनेटाईज किया जावे। चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक (1^{st} dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
- बरामदों को साफ एवं हवादार बनाने के लिये रूकावट बने सामान को हटाया जावे, जिससे कमरों एवं बरामदों में पर्याप्त प्रकाश एवं शुद्ध वायु आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जावे तथा **पानी की बोतल के पारस्परिक (अदला–बदली) उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे।** घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की पूर्ण साफ–सफाई एवं शौचालयों–मूत्रालयों की स्वच्छता मानदण्डों के अनुरूप अच्छी प्रकार से सफाई तथा पानी की टंकियों की साफ–सफाई आवश्यक रूप से करवाई जाये। इस हेतु समग्र शिक्षा द्वारा समस्त विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली **कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में से 10 प्रतिशत स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग** किया जाये तथा अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में **एस. डी.एम.सी. की अनुमति उपरान्त विकास कोष की राशि** काम में लेवें।
- विद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आने के लिए सख्ती से पाबन्द किया जाए। जावे। **"NO MASK NO ENTRY"** की पालना आवश्यक है।

८६१

- विद्यालय एवं गांव में एसओपी के प्रचार – प्रसार के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति कार्य करेगी, जोकि कोरोना के लक्षणों एवं बचाव के बारे में अभिभावकों को जागरूक करेगी। इससे अभिभावक प्रारम्भिक लक्षण वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें विद्यालय नहीं भेजेगें।
- यदि संभव हो, तो विद्यार्थियों के बैठने के लिये सिंगल सीटेड बैंच/डेस्क का उपयोग किया जावे, अन्यथा कक्षा–कक्ष से फर्नीचर बाहर निकाल कर, दरी पर न्यूनतम शारीरिक दूरी की अनिवार्यता के अनुसार चिन्ह लगाते हुए बैठक व्यवस्था की जावे।
- आगामी निर्देश आने तक विद्यालयों में **प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन/रैली/सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी।**
- विद्यालय खुलने से पूर्व बैठक व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया जावे तथा वह विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे, विद्यार्थी को आवंटित सीट पर ही बिठाया जाना सुनिश्चित किया जावे जिससे कक्षा संचालन वाले दिवस को बैठक व्यवस्था आसानी से बनाई रखी जा सके।
- पृथक–पृथक कक्षाओं का विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान का समय अलग–अलग रखा जाना है:–

एक पारी विद्यालय	कक्षा 9 व 11 का आगमन समय प्रातः 7.30 तथा प्रस्थान दोपहर 12.30 बजे तथा कक्षा 10 व 12 का आगमन समय प्रातः 8.00 तथा प्रस्थान दोपहर 1.00 बजे रखा जावें।
दो पारी विद्यालय में द्वितीय पारी विद्यालय	कक्षा 9 व 11 का आगमन समय दोपहर 12.30 तथा प्रस्थान सायं 5.30 बजे तथा कक्षा 10 व 12 का आगमन समय दोपहर 1.00 तथा प्रस्थान सायं 6.00 बजे रखा जावें।

जिससे प्रवेश एवं निकास के समय भीड़ एक स्थान पर एकत्रित ना हो पाए।

- दिनांक 01 सितम्बर 2021 से विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 12 का कुल कक्षा कक्षों की संख्या तथा क्षमता एवं कक्षा 9 से 12 की विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य किया जाना हैं।
- संस्था प्रधान द्वारा प्रवेश एवं निकास द्वार पर शिक्षक ड्यूटी लगाई जावें। शनिवार को भी कक्षा शिक्षण का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- यदि बाल–वाहिनी है तो उसके उपयोग एवं आने–जाने के रूट एवं विद्यार्थियों का उल्लेख हो। इस संबंध में बैठक प्लान वाहन के बाहर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे तथा आवंटित सीट पर ही बच्चे को बिठाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कार्मिकों एवं स्थानीय प्रशासन को विद्यालय खुलने की सूचना देना।
- इस दल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक, एएनएम, कम्पाउंडर को भी सम्मिलित किया जाएगा। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश जारी किए जावे।
- दिनांक : 1 सितम्बर 2021 से समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 का नियमित कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जावे। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थिति हेतु अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत करने से पहले उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त की जावे।बीमार अथवा ऐसे किसी लक्षणों वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत नहीं किया जावे।
- विद्यार्थियों के बैड को पारस्परिक रूप से समुचित दूरी पर रखा जावे। इस हेतु अस्थाई पार्टीशन भी किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था की जावे कि छात्रावास प्रारंभ करते समय तथा बाद में नियमित अन्तराल पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कार्मिक छात्रावास में आकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करे। यह स्वास्थ्य दल किचन एवं शौचालय आदि का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव भी देवे।
- कोविड–19 की गाईडलाईन के अनुरूप छात्रावास की क्षमता की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था रखें। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये परामर्श शिक्षक की नियमित विजिट करवाई जावे।
- विद्यार्थियों के बार–बार बाहर अथवा निवास स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध रखा जावे तथा छात्रावास में अवांछित आगन्तुकों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाए।

- आकस्मिक स्थिति के लिये पूर्व तैयारी रखी जावे तथा आवश्यक दूरभाष नम्बर, छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जावें। छात्रावास प्रारम्भ करने से पूर्व अभिभावकों के साथ ऑफलाईन/ऑनलाईन मीटिंग कर उनसे वांछित सहमति प्राप्त की जावे।
- छात्रावास की किचन पूर्णतः संक्रमण मुक्त हो एवं उसमें उपयोग में आने वाली सामग्री को संक्रमण मुक्त रखने के लिये आवश्यक उपाय करने के पश्चात् ही काम में लिया जावे।

2— स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया

- सम्पूर्ण विद्यालय एवं उसके परिसर की प्रतिदिवस सफाई की जावे तथा सफाई किये गये परिक्षेत्र का रिकार्ड रखा जावे।
- कक्षा—कक्ष एवं विद्यालय के प्रवेशद्वार तथा उपयोग में आने वाले स्थानों को प्रतिदिवस सेनेटाईज किया जावे।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को देखते हुए विद्यार्थियों को सीधे परिसर की सफाई संबंधी कार्यों से मुक्त रखा जावे।
- बार—बार छुए जाने वाले उपकरणों, धरातल यथा कक्षा—कक्ष का फर्श, दरवाजे के हैंडल, नल आदि की सफाई बार—बार की जानी सुनिश्चित की जावे तथा उन्हे प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे।
- प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टविन रखे जावे तथा उन्हें अलग—अलग कचरे के अनुसार रखें तथा तदनुसार नष्ट करने की व्यवस्था करें। सभी डस्टविन साफ तथा ढ़के हुए हों। इसे नष्ट करने के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना की जावे।
- प्रतिदिवस हाथ धोने के लिये साबुन एवं साफ जल की व्यवस्था के लिये किसी शिक्षक को मनोनीत किया जावे, जो इसकी उपलब्धता की मोनेटरिंग करेंगे।
- विद्यालय में मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा, सूखा राशन वांटा जाएगा। मिड डे मिल वितरण सम्बन्धी गतिविधियां विद्यालय संचालन अवधि में नहीं की जावे।
- सभी स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी आवश्यक रूप से फेसमास्क पहन कर ही विद्यालय आएंगे तथा विद्यालय गतिविधियों के दौरान मास्क पहने रखेंगे।
- विद्यालय में अतिरिक्त फेसमास्क रखे जावे, जो विशिष्ट परिस्थितियों यथा मास्क फटने, गुम होने पर विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जावे।
- प्रत्येक विद्यार्थी को यह जानकारी उपलब्ध कराई जावे कि खांसी आने अथवा छींकने पर वांह को मोड़ कर नाक को कोहनी के जॉइन्ट के मध्य रखें।
- बालवाहिनी को प्रतिदिवस कम से कम दो बार सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वाहन की बैठक व्यवस्था में शारीरिक दूरी के अनुरूप क्षमता से ही विद्यार्थियों को बिठाया जावे।
- बाल वाहिनी के ड्राईवर एवं कण्डक्टर शारीरिक दूरी तथा फेसमास्क संबंधी निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
- बाल वाहिनी में प्रवेश एवं निकास के समय शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
- यदि विद्यालय में एक से अधिक द्वार हैं, तो आगमन एवं प्रस्थान के समय उन सभी को खोला जावे।
- स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर विद्यालय परिसर के ठीक बाहर भीड़ पर नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- प्रार्थना तथा समूह क्रियाएं यथा खेलकूद, समूह नृत्य इत्यादि सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
- प्रायोगिक कार्य छोटे समूह में ही किए जावें, जिससे न्यूनतम शारीरिक दूरी रखे जाने की पालना की जा सके।
- विद्यार्थी परस्पर कोई सामग्री यथा पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेन्सिल आदि साझा नहीं करेंगे।
- यथा संभव विद्यालयों में एयर कण्डीशनर का उपयोग नहीं किया जावे। यदि किया जाता है, तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य ही रखा जावे।
- संक्रमित स्थान एवं बीमारी के विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति (स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल अन्य स्थान पर पृथक (आईसोलेट) कर दिया जावे।
- ऐसे विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति (स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल पूर्ण सुरक्षा में उसे चिकित्सकीय जांच हेतु भेजा जावे। इसके लिये चिकित्सा विभाग से समन्वय कर उन्हें सूचित भी किया जा सकता है।
- पूरे परिसर एवं जिस कक्ष में संभावित संक्रमित पाया गया है, उसे अनिवार्य रूप से संक्रमण विहीन किए जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे। यदि छात्रावास में कोई संकमित पाया जाता है, तो उसे

घर नहीं भेजना है, वरन चिकित्सा विभाग के निर्देशानुरूप अस्पताल अथवा छात्रावास में आईसोलेशन में रखा जावे।

3–लक्ष्यानुरूप लर्निंग आउटकम अर्जित करने के लिये अध्ययन–अध्यापन एवं मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण

- कक्षा 1 से 8, कक्षा–9 एवं कक्षा–11 के लिये पूर्व की भांति "आओ घर में सीखें 2.0" के तहत प्राप्त होने वाली स्माइल अध्ययन सामग्री, वर्कशीट तथा साप्ताहित क्विज, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ई–कक्षा इत्यादि के माध्यम ऑनलाईन अध्ययन निरन्तर रहेगा। कक्षा–9 से 12 के वे विद्यार्थी, जो बीमारी अथवा अन्य कारणों से विद्यालय नहीं आ सकेंगे, उन्हें भी ऑनलाईन अध्ययन सामग्री से अध्ययन करवाया जाएगा।
- विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये कक्षा–कक्ष में कुछ मिनटों के लिये यौगिक क्रियाएं भी करवाई जा सकती है।
- विद्यार्थियों को राज्य सरकार के डिजिटल विषयवस्तु से यथा स्माइल–3.0, आओ घर में सीखें 2.0 तथा ई–कक्षा के कार्यक्रम निरन्तर रहेंगे।

उपर्युक्त निर्देशित एसओपी के तहत समस्त सम्बन्धितों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018 दिनांकः 24/08/2021

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
06. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
07. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
08. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
09. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर गण।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
13. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
14. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
15. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
17. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
18. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
19. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।